

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2014/डी-190

दिनांक:-22/1/2015

:-कार्यवाही विवरण:-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 169वीं बैठक दिनांक 19.01.2015 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	169.1	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 168वीं बैठक दिनांक 11.12.2014 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 168वीं बैठक दिनांक 11.12.2014 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
2.	169.2	खसरा नम्बर 333/492, 330, ग्राम रामपुरारूपा, टौंक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 3.51 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की वेटरमेन्ट लेवी नियमानुसार ली जावे। 4. प्रकरण में उपायुक्त जोन से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही मानचित्र जारी किये जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
3.	169.3	भूखण्ड संख्या सी-1, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया और पाया कि राज्य सरकार द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 03.09.2014 में जिन पत्रों का संदर्भ है वे सभी पत्र क्रमशः दिनांक

			<p>26.08.2013, 05.09.2013 एवं 13.10.2013 दिनांक के है, जो कि गत सरकार के अन्तिम 6 माह के निर्णयों में आते है। अतः इस संबंध में राज्य सरकार से पुनः मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे कि इनका वर्तमान सरकार में सक्षम स्तर से review हुआ है या नहीं। राज्य सरकार से उतर प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण को पुनः भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।</p>
4.	169.4	<p>खसरा नं. 37/147, 37/148 व 37/151 ग्राम मानपुरा देवरी तहसील सांगानेर में प्रस्तावित आवासीय प्लेट के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया था। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.05.2014 के पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था। प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 167वीं बैठक दिनांक 18.11.2014 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-</p> <p>“नगरीय विकास विभाग से जारी आदेश दिनांक 20.09.2013 के बिन्दु संख्या 3 (ड) के अनुसार 750 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के स्वतंत्र आवासीय भूखण्डों में आवास इकाईयाँ प्रस्तावित किये जाने पर प्रस्तावित कार पार्किंग के लिए बतौर अमानत राशि बैंक गारन्टी लिये जाने का प्रावधान है। 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित 750 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों पर प्लैट्स अनुज्ञेय है। प्रश्नगत भूखण्ड 750 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है, किन्तु 9.0 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है, जिस पर प्लैट्स अनुज्ञेय नहीं किये जाकर केवल 12 आवास इकाईयाँ अनुज्ञेय की गई है। अतः प्रस्तावित कार पार्किंग के लिए बतौर अमानत राशि के रूप बैंक गारन्टी लिये जाने का पूर्व निर्णय यथावत रखा गया।”</p> <p>आवेदक द्वारा पुनः दिनांक 08.12.2014 को पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके क्रम में प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि निम्नांकित बिन्दुओं के मार्गदर्शन बाबत प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थी को नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 20.09.2013 के बिन्दु संख्या 3 ड के क्रम में प्रस्तावित 24 कार पार्किंग के लिए प्रति कार रुपये 1,00,000/- की दर से बैंक गारन्टी के रूप में कुल 24,00,000/- रुपये की बैंक गारन्टी हेतु सूचित किया गया। परन्तु प्रार्थी का कथन है कि प्रश्नगत भूखण्ड 750 वर्गमीटर से बड़ा है अतः बैंक गारन्टी नहीं ली जाये। चूंकि



			<p>प्रश्नगत भूखण्ड 30 फीट रोड पर है; अतः बैंक गारन्टी ली जावे या नहीं, बाबत मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।</p> <p>राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण को पुनः भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।</p>
5.	169.5	भूखण्ड संख्या 156, 157, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड में प्रस्तावित आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर, बेसमेन्ट व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
6.	169.6	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 54 से 59, ज्ञान विहार (श्री गोविन्द गृह नि.स.स.लि.), जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.2 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.188 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी नियमानुसार ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर</p>



			जारी किये जावे।
7.	169.7	भूखण्ड खसरा नम्बर 684/1, 687/1, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 3.017 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी नियमानुसार ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
8.	169.8	खसरा नम्बर 150/817, 154/818, 154/819, 155/820, 155/821 एवं 152, ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर के ग्रुप हाउसिंग के आंशिक ब्लॉक्स के संशोधित मानचित्र अनुमोदन एवं आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. संशोधित मानचित्रों की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है। पूर्व में दिनांक 30.03.2011 को नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें 5 वर्ष की अवधि का वर्णन है। अतः नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जारी किये जाने वाले स्वीकृति पत्र में अनुज्ञा अवधि 30.03.2016 अंकित की जावे एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. उपायुक्त जोन से स्वामित्व रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 4. पूर्व में ब्लॉक 'B' एवं ब्लॉक 'C' में कुल एफ.ए.आर. 14037.58 दर्गमीटर (0.989) एवं ब्लॉक 'A' को सम्मिलित

		<p>करते हुए कुल एफ.ए.आर. 28483.55 वर्गमीटर (1.999) स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में मौके पर ब्लॉक 'A' निर्माणाधीन है। आवेदक द्वारा केवल ब्लॉक 'B' एवं ब्लॉक 'C' के ही मौका स्थिति अनुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्तुत मानचित्रानुसार ब्लॉक 'B' एवं ब्लॉक 'C' में कुल एफ.ए.आर. 14307.64 वर्गमीटर (1.00) प्रस्तावित किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>5. मौके पर आवेदक द्वारा सेटबैक क्षेत्र में पेवमेन्ट का निर्माण किया हुआ है। प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में पेवमेन्ट की जगह पार्किंग प्रस्तावित की हुई है। इस संबंध में आवेदक ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौके पर निर्मित पेवमेन्ट को सम्पूर्ण रूप से हटा दिया जावेगा। अतः मौके पर पूर्व निर्मित पेवमेन्ट हटाने के उपरान्त ही मानचित्र जारी किये जावें।</p> <p>6. वर्तमान में मौके पर सौर पैनल स्थापित नहीं है। अतः मौके पर सौर पैनल स्थापित किये जाने एवं वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम के संबंध में अधिशाषी अभियन्ता (पी.एच.ई.) से रिपोर्ट आने के उपरान्त ही आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र दिया जावे।</p> <p>7. प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 14180.00 वर्गमीटर है, जो कि 5000 वर्गमीटर से अधिक है। भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार कुल 156 आवासीय फ्लैट्स के क्रम में 54 EWS फ्लैट प्रस्तावित किये गये हैं, जो विनियमानुसार 15 प्रतिशत के स्थान पर 34.61 प्रतिशत है। कुल सकल आच्छादित क्षेत्रफल 35356.85 वर्गमीटर के क्रम में EWS यूनिट हेतु 2778.84 वर्गमीटर क्षेत्र प्रस्तावित है, जो 5 प्रतिशत के स्थान पर 7.86 प्रतिशत है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
9.	169.9	<p>पुर्नगठित भूखण्ड संख्या सी-6, सी-7, सी-8, सी-9, सी-10, सी-11, सी-12, योजना बैंक ऑफिसर्स, सी-ब्लॉक, रामनगरिया, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन दावत।</p> <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग</p>

			<p>उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन दिनिशम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उद्ब्ययन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें।</p> <p>3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.2 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.238 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है! अतः मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी नियमानुसार ली जावें।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
10.	169.10	<p>खसरा नम्बर 174 व 175, ग्राम-जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित मानचित्र अनुमोदन एवं अधिवास प्रमाण पत्र बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. प्रकरण में पूर्व में 23,913.37 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल एवं 26,396.71 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल स्वीकृत किया गया था तथा (23,132.04 वर्गमीटर) निर्मित क्षेत्रफल का पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। वर्तमान में आवेदक द्वारा 24084.75 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल एवं 26568.09 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। अतः संशोधित मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। पर्यावरण विभाग की संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावें।</p> <p>2. पूर्व में बेसमेन्ट में कुल 38 मैकेनिकल कार पार्किंग स्वीकृत की गई थी। संशोधित मानचित्रानुसार आवेदक द्वारा पूर्व में स्वीकृत मैकेनिकल कार पार्किंग के ले-आउट में परिवर्तन करते हुए 38 मैकेनिकल कार पार्किंग बेसमेन्ट में स्थापित कर दी गई है जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
11.	169.11	<p>भूखण्ड संख्या 69, नीलकंठ एनक्लेव, ग्राम इरबंसपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p>

			<p>1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.226 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी नियमानुसार ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
12.	169.12	खसरा नम्बर 673, 674, 677, 678, 686, 691, 685, ग्राम-भापुरा, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 24,647.00 वर्गमीटर प्रस्तावित है, जो कि 20,000 वर्ग मीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>4. मौके पर निर्मित कमरों को हटायें जाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
13.	163.13	खसरा नं. 637, 638, 643, 644, 663 ग्राम	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया</p>

		नींदड़, तहसील आमेर, सीकर रोड, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर होने के कारण नागरिक उड्डयन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। शेष निर्णय बैठक दिनांक 14.02.2014 के अनुसार रहेंगे।
14.	169.14	भूखण्ड संख्या 9, योजना ग्रीन त्रिवेणी, ग्राम-नींदड़, तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर होने के कारण नागरिक उड्डयन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। शेष निर्णय बैठक दिनांक 12.09.2014 के अनुसार रहेंगे।
15.	169.15	भूखण्ड संख्या ए-72, सनसिटी, ग्राम-नींदड़, सीकर रोड, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 3.150 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी नियमानुसार ली जावे। 4. उक्त भूखण्ड सनसिटी, ग्राम नींदड़, सीकर रोड, जयपुर पर स्थित है, जो कि जयपुर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की परिधी से बाहर स्थित है एवं पूर्व में भूखण्ड संख्या जी.एच. -III, सनसिटी, ग्राम नींदड़, सीकर रोड, जयपुर पर भी नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी। अतः प्रकरण में नागरिक उड्डयन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
16.	169.16	खसरा नम्बर 6459/1, 6459/2	समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी

		6-80/1, ग्राम-चौमू, तहसील-चौमू, जयपुर के प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	से इस बाबत शपथ पत्र ले लिया जावे कि 2 दश को अवधि में मौके पर निर्मित निर्माण को हटा लिया जावेगा। शेष निर्णय बीपीसी (बीपी) की बैठक दिनांक 02.05.2014 के अनुसार गथावत रहेगें।
आयुक्त महोदय की आज्ञा से निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।			
17.	169.17	भूखण्ड संख्या ए-3, एयरपोर्ट एनक्लेव (एयरपोर्ट प्लाजा एक्सटेंशन), टॉक रोड, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 39102.46 वर्गमीटर प्रस्तावित है, जो कि 20,000 वर्ग मीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 4. उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 6036.15 वर्गमीटर है। भूखण्ड नीलामी से क्रय किया हुआ है। नीलामी के शर्त में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूखण्ड पर किसी भी प्रकार की बेटरमेन्ट लेवी लेय नहीं होगी तथा भूखण्ड की लीज व्यावसायिक होने के कारण अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी लागू नहीं होगी। नीलामी की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावे। 5. भवन विनियम 2010 की तालिका 8 की टिप्पणी संख्या v के अनुसार रसोई घर में न्यूनतम 1 वर्गमीटर क्षेत्रफल की खिड़की होगी, जो सीधे ही भीतरी या बाहरी खुले स्थान की तरफ हो, किन्तु विनियम 9.6 के xii शाफ्ट में नहीं खुलती हो जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों में प्रस्तावित रसोई घर की खिड़की 9.15 X 3.00 मीटर कटआउट में खुलते हुए दर्शाई गई है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। <p style="text-align: center;">उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर</p>

			जारी किये जावे।
18.	169.18	भूखण्ड संख्या बी-33 से बी-36 एवं बी-57 से बी-60, ऐयरपोर्ट एनक्लेव, ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.2 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 1.986 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेंट लेवी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
19.	169.19	खसरा नम्बर 1407, 1408, 1413, 1414, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (पार्ट बी), ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित अफोडेबल हाउसिंग EWS/LIG स्कीम के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में जविप्रा द्वारा ग्रुप हाउसिंग का पट्टा जारी किया गया है, जिस पर आवेदक ने केवल EWS/LIG का प्रस्ताव देते हुए LIG के 378 फ्लैट्स एवं EWS के 327 फ्लैट्स प्रस्तावित किये है। अतः प्रकरण में बेटरमेंट लेवी एवं बी.एस.यू.पी. शेक्टर फण्ड राशि की गणना की जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर</p>

			जारी किये जावे।
20.	169.20	भूखण्ड संख्या जी.एच.-4, आमेक्स सिटी, अजमेर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.543 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 4. आवेदक द्वारा 42321.93 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है, जो कि 20,000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना प्रस्तावित है। आवेदक द्वारा सम्पूर्ण योजना (ओमेक्स सिटी) की पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रश्नगत भूखण्ड का सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
21.	169.21	खसरा नम्बर 64 (पार्ट), 65 (पार्ट), 72, 73, 81, 82, 83, 84 (पार्ट), 85, 86, 79S, 80C, 805, 808, 811 तथा 812, ग्राम-बगरु खुर्द एवं ठिकरिया, तहसील-सांगानेर के MIG-B/HIG के जयपुर भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि सहवन से एक यूनिट पर जो Unapproved लिख दिया गया था उसे अनुमोदित पढ़ा जावे।</p>
22.	169.22	खसरा नम्बर 240, 241, 246, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मौके पर अभी कच्चा रास्ता है। अतः जब तक सड़क नहीं बने तब तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने का</p>

			निर्णय लिया गया।
23.	169.23	भूखण्ड संख्या बी-2, उच्चपुल, जगतपुरा, जयपुर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि दो भवन विनियमों का लाभ एक साथ नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी को लिख दिया जावे कि किसी एक भवन विनियम के तहत आवेदन करें।
24.	169.24	खसरा नम्बर 329, 333, 335, 336, 337, 338, 352, 355, 356, 357, 358 व 362, ग्राम-ठिकरिया, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित गुप्त हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नगत भूखण्ड एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर होने के कारण नागरिक उड्डयन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। 2. आवेदक द्वारा बी.पी.सी. (बीपी) के निर्णयानुसार समस्त राशि व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये है। प्रार्थी द्वारा अभी 20,000 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल के भवन मानचित्रों का अनुमोदन किये जाने का निवेदन किया है। अतः 20,000 वर्गमीटर से कम के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
25.	169.25	भूखण्ड संख्या सी-8, निजी खातेदारी योजना, ईडन गार्डन, ग्राम राजावास, तहसील आमेर, सीकर रोड, जयपुर के प्रस्तावित अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.203 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी नियमानुसार ली जावे। 4. समिति को अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड



			<p>सीकर रोड़ का है, जो एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। साथ ही पूर्व में भी सीकर रोड़ के प्रकरणों को 20 किलोमीटर से अधिक दूरी का मानते हुए नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। अतः प्रश्नगत प्रकरण में नागरिक उड्डयन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
26	169.26	नीतिगत निर्णय बाबत्।	<p>(i) EWS/LIG बाबत् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के संबंध में:-</p> <ol style="list-style-type: none"> वे भवन जिनके निर्माण के साथ EWS/LIG फ्लैट्स निर्माण की आवश्यकता है, के जब मानचित्र जारी हो तो उनमें जिस भूखण्ड में EWS/LIG की आवासीय इकाईयाँ अनुमोदित की गई है उनका अंकन मुख्य भवन के भवन मानचित्रों में आवश्यक रूप से किया जावे। उन सभी भवनों की सूची तैयार की जावे जिनमें मुख्य भवनों के मानचित्र अनुमोदित/जारी हो गए परन्तु EWS/LIG के मानचित्र अभी तक अनुमोदित नहीं हुए है। यदि प्रार्थी द्वारा अभी EWS/LIG के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये है तो पूर्व में अनुमोदित मुख्य भवन के कार्य को तुरन्त प्रभाव से रूकवा दिया जावे व ऐसे सभी प्रकरणों को भवन मानचित्र समिति (बीपी) में रिव्यू हेतु प्रस्तुत किया जावे। उन सभी प्रकरणों में प्रार्थी को संबंधित जोन द्वारा नोटिस दिया जावे जिनमें तीन माह पश्चात् भी EWS/LIG का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिन प्रकरणों में 6 माह पश्चात् भी EWS/LIG का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है उनमें मुख्य भवन के निर्माण कार्य को अविलम्ब रूकवाने हेतु संबंधित जोन द्वारा पत्र भेजा जावे साथ ही संबंधित जोन द्वारा कारण बताओं नोटिस दिया जावे कि क्यों नहीं मुख्य भवन के मानचित्र निरस्त कर निर्माणाधीन मुख्य भवन को ध्वस्त कर दिया जावे। निम्नांकित बाबत् राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए "यदि निर्धारित अवधि (2 वर्ष) में EWS/LIG का भवन नहीं बनाया जाता है तो 200/- रुपये प्रति वर्गफुट



की शास्ति आगामी एक वर्ष तक ली जाए और यदि 3 वर्ष बाद भी EWS/LIG का निर्माण नहीं किया जाता तो मुख्य भवन के निर्माण को रोकते हुए अबतक हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया जावे।”

7. राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त हो तब तक यदि निर्धारित अवधि (2 वर्ष) में EWS/LIG का भवन नहीं बनाया जाता है तो 200/- रुपये प्रति वर्गफुट की शास्ति आगामी एक वर्ष तक ली जावे और यदि 3 वर्ष बाद भी EWS/LIG का निर्माण नहीं किया जाता तो मुख्य भवन के निर्माण को रोकते हुए अबतक हुए निर्माण को सील कर दिया जावे।

(ii) नीलामी में बेचे गये भूखण्डों के संबंध में:-

1. दिनांक 31.03.2013 से पूर्व विगत 10 वर्ष में जो भी भूखण्ड जविप्रा द्वारा नीलामी में बेचे गये है, उनकी सूची अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) से तुरन्त प्राप्त की जाकर जिन प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा मानचित्र अनुमोदित नहीं करवाये गये है उसकी सूची संबंधित जोन को उपलब्ध करवाई जावे ताकि जोन द्वारा प्रार्थी को पुर्नग्रहण शुल्क की वसूली हेतु नोटिस दिया जा सकें।
2. जब भी कोई भूखण्ड रियायती दर या आरक्षित दर पर आवंटित हो तो भूमि आवंटन नियमों में भवन को निर्मित करने की अवधि तक की अवधि तक ही भवन मानचित्र स्वीकृत किए जाए।

(iii) श्रमिक उपकर के संबंध में:-

1. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 55 ()अभि./सीई/डीएलबी/13/श्रम उपकर/12236-12441 दिनांक 11.09.2013 की अनुपालना में भवन मानचित्र जारी करने से पूर्व जारी किये जाने वाले भवन मानचित्रों के कुल सकल निर्मित क्षेत्र के प्रस्तावित निर्माण की लागत का एक प्रतिशत उपकर लिये जाने की व्यवस्था तत्काल प्रारम्भ की जाए। मांग पत्र जारी करते समय उक्त राशि का उल्लेख भी मांग पत्र में किया जाए और यह राशि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के पक्ष में देय डी.डी. के माध्यम से ली जावेगी और जिसे भवन मानचित्र जारी करने के साथ श्रमिक कल्याण मण्डल को प्रेषित की

		<p>जाएगी। उक्त वर्णित राशि प्रतिवर्ष बी.एस.आर. रेट के आधार पर संशोधित की जाएगी।</p> <p>(iv) नागरिक उड्डयन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के क्रम में अनुज्ञा अवधि प्रभावी होने के संबंध में:-</p> <p>भवन विनियमानुसार 7 वर्ष की अनुज्ञा अवधि होती है एवं नागरिक उड्डयन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में 5 वर्ष की अवधि का उल्लेख होता है। अतः नागरिक उड्डयन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में जो अवधि अंकित है उसी अनुसार स्वीकृति पत्र में अनुज्ञा अवधि का वर्णन अंकित किया जावे।</p>
--	--	--

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा स.स./बीपीसी(बीपी)/2015/डी-190

दिनांक:- 22/1/2015

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
5. अति० आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन/(एलपीसी)/(भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)


परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 169वीं बैठक दिनांक 19.01.2015 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त मण्डल की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|-------------|
| 1. श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष, |
| 2. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 3. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 4. श्री एम.एस. रत्नू, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 5. श्रीमती रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 6. मुकेश मित्तल, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव, |

विशेष आमंत्रित :-

7. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री मुरलीधर चेजारा, सहायक नगर नियोजक, जोन-01, जविप्रा, जयपुर।


वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)